



# 5 बातें जो आपको जाननी चाहिए घरों में इमोशनल सपोर्ट ऐनिमल

- 1 इमोशनल सपोर्ट ऐनिमल (ESA) ऐसा जानवर होता है, जो किसी व्यक्ति की दिव्यांगता के कम से कम एक लक्षण को दूर करने में मदद करता है। ESA (भावनात्मक रूप से सहारा देने वाला जानवर) सेवा देने वाले या गाइड करने वाले जानवर से अलग होता है; सेवा देने वाले या गाइड करने वाले जानवर के विपरीत, ESAs को उनके मालिक की दिव्यांगता के संबंध में कुछ खास तरह के काम करने के लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।
- 2 अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को घर का अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए कोई ज़रूरत हो, तो हाउसिंग प्रोवाइडर को जानवरों के संचालन की अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा या उनके अपवाद बनाने होंगे। इसका मतलब है कि हाउसिंग प्रोवाइडर को दिव्यांग किरायेदार को एक इमोशनल सपोर्ट ऐनिमल (ESA) रखने की अनुमति देने के लिए "कोई पालतू जानवर नहीं" की नीति का अपवाद बनाने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सेवा देने वाले या गाइड करने वाले जानवरों के विपरीत, ESAs को हाउसिंग प्रोवाइडर की "कोई पालतू जानवर नहीं" की नीति से डिफ़ॉल्ट तौर पर छूट नहीं मिलती।
- 3 अगर आप "कोई पालतू जानवर नहीं" की नीति वाली किसी बिल्डिंग में रहते हैं या रहने जाने वाले हैं, तो आप अपने ESA के लिए रहने की यथोचित जगह का अनुरोध कर सकते हैं। अगर ESA के लिए आपकी दिव्यांगता और दिव्यांगता संबंधी ज़रूरतें स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देती हैं या अन्यथा पता नहीं चलती हैं, तो आपका हाउस प्रोवाइडर आपका इलाज करने वाले डॉक्टर से विश्वसनीय दस्तावेज़ का अनुरोध कर सकता है, जिससे यह पता चले कि आप दिव्यांग हैं और आपको ESA की ज़रूरत है। आपका हाउसिंग प्रोवाइडर यह माँग नहीं कर सकता कि आपका अनुरोध लिखित में होना चाहिए या आप किसी खास फ़ॉर्मेट में दस्तावेज़ सबमिट करें। ESA की आपकी ज़रूरत को सपोर्ट करने वाला दस्तावेज़ अगर इंटरनेट से लिया गया है और किसी डॉक्टर द्वारा नहीं दिया गया है, तो उसे आम तौर पर विश्वसनीय नहीं माना जाता है।
- 4 हाउसिंग प्रोवाइडर द्वारा आपके अनुरोध का व्यक्तिगत स्तर पर आकलन किया जाना ज़रूरी है और अगर आपके ESA को अनुमति देने से उसके ऊपर संचालन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, तो वह आपके अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इसके लिए की जाने वाली जाँच तथ्यों पर बहुत ज़्यादा आधारित होती है और इस बारे में विचार करती है कि आपको ESA रखने की अनुमति देने से हाउसिंग प्रोवाइडर के संचालन में बुनियादी रूप से कोई फ़र्क आएगा या नहीं, या इससे हाउसिंग प्रोवाइडर के ऊपर अनावश्यक वित्तीय या प्रशासकीय बोझ पड़ेगा या नहीं।
- 5 आपका हाउसिंग प्रोवाइडर ESA रखने की अनुमति देने के बदले में आपसे अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क जमा करने या पालतू जानवर के लिए अतिरिक्त शुल्क देने, या अतिरिक्त बीमा लेने की शर्त नहीं रख सकता। हालाँकि, आपका हाउस प्रोवाइडर जानवर द्वारा किए गए किसी भी वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान आपसे ले सकता है।

ज़्यादा जानकारी पाने या शिकायत करने के लिए, [NJCivilRights.gov](http://NJCivilRights.gov) पर जाएँ या **973-648-2700** पर कॉल करें



न्यू जर्सी ऑफ़िस ऑफ़ द अटॉर्नी जनरल  
[NJCivilRights.gov](http://NJCivilRights.gov)



DIVISION ON  
**NJ CIVIL RIGHTS**  
@CivilRightsNJ #CivilRightsNJ #StandUpAgainstHate



कोई भी व्यक्ति LAD (लॉ ऑफ़ेस्ट डिस्क्रीमिनेशन यानी भेदभाव के खिलाफ़ बने कानून) के उल्लंघन की रिपोर्ट करने, भेदभाव के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करने या LAD के अंतर्गत आने वाले अन्य अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए आपके खिलाफ़ बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। DCR (डिविज़न ऑफ़ सिविल राइट्स) LAD को लागू करता है। यह कानून न्यू जर्सी में सभी लोगों की भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही उनकी आप्रवासन स्थिति कुछ भी हो। ज़्यादा जानने के लिए, [यहाँ](#) क्लिक करें।